

कार्यालय उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

-: कार्यालय आदेश :-

संस्था अवर लेडी ऑफ पिलर एज्युकेशन सोसाइटी जोधपुर के द्वारा
संचालित अवर लेडी ऑफ पिलर कॉन्वेंट उच्च प्राथमिक विद्यालय के सचिव द्वारा परिशिष्ट

1 में उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर एवं दलीय अधिकारियों की अभिशंभा एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था मान्यता नियम 1993 एवं तत्पश्चात किये गये संशोधनों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आपके विद्यालय को प्रारंभिक/उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता (बि.टी./अंग्रेजी माध्यम) सत्र 2003-2004 से निम्न अनुबन्धों एवं शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है नियमों की पालना नहीं किये जाने पर मान्यता तत्काल समाप्त की जा सकेंगी :-

1. विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाए ।
2. विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन, महंगाई भत्ता, एवं पी.एफ की सुविधा नियमानुसार प्रदान की जाए ।
3. विद्यालय को विभाग की बिना अनुमति के अन्यत्र भवन एवं अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जाय एवं न ही उसकी कोई अन्य शाखा अन्यत्र खोली जाए ।
4. राजस्थान सरकार (शिक्षा विभाग) द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें ही लागू की जायेगी ।
5. विद्यालय का समस्त अभिलेख विद्यालय में रखा जावे तथा विभाग के अधिकारी द्वारा जांच हेतु मांगने पर दिखाया जाए । संस्था का कोई भी पदाधिकारी विद्यालय में वैतनिक सेवा नहीं करेगा ।
6. विद्यालय को विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों एवं नियमों की अनुपालना करनी होगी अन्यथा विभाग द्वारा दी गई मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी । विभाग द्वारा दी गई मान्यता के लिए अनुदान देने के लिए विभाग बाध्य नहीं है ।
7. विद्यालय की वार्षिक योजना तैयार कर उसका अनुमोदन कराया जाए एवं उसके अनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जाय ।
8. संस्था किसी साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी तथा किसी व्यक्ति विशेष अथवा समुदाय को लाभार्थ नहीं होना चाहिए ।
9. संस्था को विभाग की बिना अनुमति के अन्य दूसरी प्रबन्धकारिणी समिति को स्थानान्तरित नहीं किया जाए ।
10. विभाग की बिना अनुमति से कक्षा ख / कक्षा नवम् प्रारंभ नहीं किया जाए ।
11. त्रैमासिक नामांकन सूचना (छात्र/छात्रा/कक्षावार/जातिवार/अध्यापकों) आदि की सूचनाएं इस कार्यालय को प्रेषित करनी होगी ।

क्रमांक: शिउप्रा/जोध/मान्यता/2003/211

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर
3. ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति जुनी
4. सचिव/व्यवस्थापक अवर लेडी ऑफ पिलर-

उप निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर
दिनांक 28/4/2003

Molank
Principal

कॉन्वेंट उच्च प्राथमिक विद्यालय
अंग्रेजी माध्यम 175/57 जोधपुर
एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड जोधपुर

Our Lady of Pillar Convent School
GANGANA ROAD, PAL VILLAGE
JODHPUR-342001 (RAJ.)

उप निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर

Sriyovanma

Manager
Our Lady of Pillar Convent School
GANGANA ROAD, PAL VILLAGE
JODHPUR-342001 (RAJ.)